कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1993 में दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 385 छात्रावासों (351 सहायतानुदान प्राप्त छात्रावासों को शामिल करते हुए) तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 729 छात्रावासों (694 सहायतानुदान प्राप्त छात्रावासों को शामिल करते हुए) की स्थापना की गई है। जिलेवार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में और अधिक छात्रावासों के निर्माण के गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक वित्त निगमों की स्थापना

238. **श्री मोहम्मद अफजल** उर्फ **मीम अफजल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अल्पसंख्यक वित्त निगम स्थापित है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन निगमों ने वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी राशि के ऋण दिये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उपलब्ध सूचना के मुताबिक अल्पसंख्यक वित्त निगम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये सेवाएं

239. **श्री मोहम्मद अफजल** उर्फ **मीम अफजल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों की विभिन्न सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये निर्धारित कोटा कितना है और उसका मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत भर्ती किये गए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) समूह "ग" और "घ" पदों पर अभिज्ञात पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, के लिए दृष्टिहीन, मूक और अस्थि विकलांग प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत आरक्षित की गई है।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)। इसके अतिरिक्त, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की रिक्तियों को भरने हेतु, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1987, 1988 और 1990 में तीन विशेष भर्ती अभियान शुरू किए गए थे जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में 1036 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

क्र० सं०	मंत्रालय का नाम	1990		1991		1992	
		समूह "ग"	समूह "घ"	समूह "ग"	समूह "घ"	समूह "ग"	समूह "घ"
1	कृषि मंत्रालय	–	–	5	2	–	–
2	वाणिज्य मंत्रालय	9	–	–	–	–	–
3	संचार मंत्रालय	2	1	32	2	–	–
4	रक्षा मंत्रालय	3	3	1	4	7	5
5	वित्त मंत्रालय	10	7	–	–	–	–
6	गृह मंत्रालय	3	–	–	–	7	4
7	उद्योग मंत्रालय	12	3	16	3	–	–
8	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	44	37	1	2	4	4
9	श्रम मंत्रालय	9	1	–	–	–	–
10	विधि एवं न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय	–	1	1	–	3	–
11	योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1	–	–	1	–	–
12	विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय	20	2	–	–	–	–
13	भूतल परिवहन मंत्रालय	4	4	–	–	–	–
14	शहरी विकास मंत्रालय	1	–	–	–	–	–
15	कल्याण मंत्रालय	–	4	–	–	–	–
16	परमाणु ऊर्जा विभाग	182	59	110	62	23	6

Schooling for Street Kids

240. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE;

SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) the number of street kids in India as per Census 1971, 1981 and 1991; and their estimated number as at present;

(b) what percentage of these children go to school and what percentage of them are deprived from schooling; and

(c) what steps have been taken and what schemes are in operation for ensoring basic educiation to them ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) and (b) No such information is available with the Census.